

अब तक 11 घोड़े मृत, पशु चिकित्सकों की निगरानी में हो रहा इलाज

हैदराबाद से आए एक और घोड़े की मौत

जबलपुर।

हैदराबाद से जबलपुर आए गए 11वें घोड़े की मौत हो गई। पशु चिकित्सकों के मुताबिक उसे गुर्दे की बीमारी थी। इस तरह हैदराबाद से आए गए 57 घोड़ों में से अब तक 11 घोड़ों की मौत हो चुकी है। अब सिर्फ 46 घोड़े बचे हैं, जिन्हें पशु चिकित्सा विभाग की निगरानी में रखा गया है। इस मामले को लेकर जबलपुर निवासी सिमरन ईसर ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। जिसमें घोड़ों को सुरक्षित स्थान पर रखने की मांग की गई है। इस याचिका पर जनसुनवाई हो सकती है।

बताया गया है कि रायपुर निवासी सचिन तिवारी ने 29 अप्रैल से 3 मई के बीच हैदराबाद से ट्रक में 57 घोड़े जबलपुर पहुंचाए थे। इन घोड़ों को ग्राम रैपुरा पनागर में रखा गया था। जहां पर 5 मई से 13 मई के बीच करीब 8 घोड़ों की मौत हो गई थी, इसके बाद हड़कम्प मचने पर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घोड़ों का इलाज शुरू कर दिया। यहां तक कि सभी



घोड़ों के ग्लैंडर्स सैपल लेकर हरियाणा स्थित हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भेजे गए हैं।

बताया जाता है कि सिर्फ एक घोड़े की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक जितने भी घोड़ों की मौत हुई है, उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रैपुरा गांव के बाहर दफनाया गया

है। इस बीच मंगलवार को जिस घोड़े की मौत हुई है वह लम्बे समय से बीमार था, उसने पैरालिसिस व सीवियर कोलिक गुर्दे की गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते वह दर्द से कराहता रहा। उसकी लैडर्स रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद भी उसकी मौत हो गई। उसे गुर्दे की बीमारी थी। जिसे

डॉक्टरों की उपस्थिति में गड़ड़ा खोदकर दफना दिया गया। गौरतलब है चार दिन पहले जिस घोड़े की मौत हुई है, उसे लोमिनाइटिस नामक बीमारी थी, जिसमें खुर के अंदर सूजन आ जाती है और वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। इस घोड़े की ग्लैंडर रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।

होटल पसरीचा के हॉल में जुआ के फड़ पर छापा

7 जुआड़ियों से 4 लाख से अधिक जब्त

जबलपुर। शहर से दूर शादी विवाह समारोह के लिए रिसोर्टनुमा हॉटल पसरीचा में जमे हुए जुए के फड़ पर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय की स्पेशल टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा, यहां शहर के सात नामचीन लोग जुआ खेलते हुए पकड़े। पुलिस ने मौके से 4 लाख 2 हजार 300 रुपए और ताश पत्ती जब्त किए हैं। बताया गया है कि मुखबिर से डायरेक्टर पुलिस अधीक्षक को हॉटल पसरीचा में जुए के फड़ जमे होने की सूचना मिली थी, जिसकी उन्होंने तत्दीक कराने के बाद कंट्रोलरूम प्रभारी सतीश झारिया, धनवंतरी नगर चौकी प्रभारी दिनेश कुमार गौतम, गोरबाजार थाना प्रभारी टेकचंद शर्मा, के नेतृत्व में पुलिस बल ने हॉटल पसरीचा में अंदर खाना खाने वाले हॉल में दबिबा दी। यहां 7 जुआड़ियों अर्जुन मूलचंदानी उम्र 65 वर्ष निवासी रांझी भेन रोड, सतीश शर्मा उम्र 48 वर्ष निवासी रामपुर छापर थाना गोरखपुर, भरत मृगनाथी उम्र 35 वर्ष निवासी पुष्पकुंज कालोनी गोरखपुर, शैलेश चौरसिया उम्र 61 वर्ष नर्मदा रोड आदित्य कालोनी गोरखपुर, अनिल शर्मा उम्र 70 वर्ष निवासी जेडीए कालोनी रांझी, भूपेन्द्र सिंह उम्र 65 वर्ष निवासी अनंतारा तिलहरी गोरबाजार, मनीष सोनी उम्र 56 वर्ष निवासी गढ़ा फाटक जुआ खेलते हुए पकड़े गए। इ से ताश पत्ते एवं 4 लाख 2 हजार 300 रुपये जब्त किए गए। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

जुआड़ियों को पकड़ने में कंट्रोलरूम प्रभारी सतीश



झारिया के निर्देशन में चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर उप निरीक्षक दिनेश गौतम, चौकी प्रभारी गौर उप निरीक्षक टेकचंद शर्मा, सहायक उप निरीक्षक सोमनाथ, आरक्षक विनय एवं, चौकी धनवंतरीनगर के आरक्षक रजनीश यादव तथा थाना गोरखपुर के आरक्षक अजय भारद्वाज तथा कंट्रोलरूम की टीम की सराहनीय भूमिका रही।

भारी मात्रा में अवैध शराब सहित चार पहिया वाहन बरामद

जबलपुर। अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशन में सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे और आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी परमानंद कोरचे के नेतृत्व में रात्रि कालीन गस्त के दौरान बरेला के वार्ड नम्बर 2 के किसानी मोहल्ला में प्राप्त सूचना के आधार पर वाहन क्रमांक MP202G2214 सफेद रंग की मारुती स्विफ्ट डिजाइन्ड कार में रखी 22 पेटी देसी मदिरा मसाला एवं 18 पेटी देसी मदिरा प्लेन कुल 40 पेटी देसी मदिरा, मात्रा 360.0 बरक लीटर देसी मदिरा बरामद कर



मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन (2000) की धारा 34(1) क एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया प्रकरण में बरामद मदिरा का मूल्य 01 लाख 83 हजार रुपये एवं वाहन का मूल्य लगभग 7

लाख रुपये है। कार्रवाई के दौरान प्रवीण रतन वरकडे, जिनेंद्र कुमार जैन एवं आबकारी उप निरीक्षक, रमेश कुशराम आबकारी मुख्य आरक्षक, अनुराग शर्मा एवं भूपेंद्र मरावी आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।

विधि छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन इंटरनल कार्यक्रम के द्वितीय बैच का शुभारंभ

जबलपुर। मंगलवार को मप सहित अन्य राज्यों के विधि महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में अध्यक्षरत छात्र-छात्राओं हेतु 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटरनल कार्यक्रम के द्वितीय बैच का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व सदस्य सचिव प्रदीप मित्तल के निर्देशन में इंटरनल होगा। ऑरियंटेशन सत्र के दौरान सदस्य सचिव प्रदीप मित्तल, अतिरिक्त सचिव अरविंद श्रीवास्तव, उप सचिव अनिरुद्ध जैन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शक्ति वर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रदीप सिंह ठाकुर व दिग्विजय सिंह उपस्थित रहे। इंटरनल प्रोग्राम के तहत विधि छात्रों को मप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विभिन्न शासकीय विभागों, किशोर न्याय बोर्ड इत्यादि का भ्रमण कराया जाएगा। इंटरनल को उच्च संस्थाओं की कार्यप्रणाली व संबंधित नियम एवं कानूनों की जानकारी प्रदान की जाएगी।

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

जबलपुर। जलजलताय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कक्षा 11वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी जिन्हें केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वार्षिक पारिवारिक आय-सीमा शर्ति रूपसे 2.50 लाख से कम) का लाभ प्राप्त होता है। उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कराना अनिवार्य है। विद्यार्थियों द्वारा एक बार ओटीआर नंबर प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात् मविद्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा, जिसके लिये पृथक से पुनः ओटीआर की आवश्यकता नहीं होगी।

ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की मांग पर सुनवाई स्थगित

जबलपुर। मप हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 8 सितंबर तक स्थगित कर दी। दरअसल, राज्य शासन की ओर से बताया गया कि इस मामले में उठायी गयी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट लिखित याचिका का विषय है। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। एडवोकेट युनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 को सरकार को जवाब के लिए अंतिम अवसर दिया था। सरकार की ओर से बताया गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार की ओर से निवेदन किया गया कि हाईकोर्ट इस याचिका की सुनवाई नहीं करे। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह, परमानंद साहू और उदय कुमार ने पक्ष रखा।

जलप्लावन को लेकर महापौर ने की मैराथन बैठक

अतिक्रमण कर वर्षा जल निकासी की व्यवस्था को अवरुद्ध करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई

जबलपुर। जलप्लावन को लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह "अनू" ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षा ऋतु के दौरान कहीं पर भी जलप्लावन की स्थिति निर्मित न हो इसकी तैयारी अभी से मजबूती के साथ रखें। महापौर ने बैठक के दौरान कहा कि बड़े नाला-नालियों की सफाई 20 जून तक हरहाल में पूरा करें और संभावित जलप्लावन वाले क्षेत्रों में वर्षा जल निकासी की व्यवस्था वैकल्पिक रूप से भी बनाकर रखें। बैठक के दौरान महापौर श्री अनू ने स्वास्थ्य अमले को यह भी निर्देशित



किया कि वर्षा जल निकासी की व्यवस्था को अवरुद्ध करने वाले सभी अधिकारियों को चिन्तित करें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य प्रभारी एम.आई.सी. सदस्य श्रीमती रजनी केलाशा साहू, निगमायुक्त श्रीमती प्रीति

यादव, अपर आयुक्त व्ही.एन. बाजपेयी, उपायुक्त संघ व अयाची, स्वास्थ्य अधिकारी संधीप जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल बारी, धर्मेश्वर, पोला राव, अर्जुन यादव के साथ सभी मुख्य स्वच्छता निरीक्षक आदि उपस्थित रहे।

धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश

जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवरथ सिंह की कोर्ट ने धोखाधड़ी के परिवाद पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। थाना हनुमानलाल को निर्देशित किया कि वे अनावेदक तनवीरुद्दीन अंसारी व पत्नी शत्रुघ्ना अंसारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 सहपठित धारा 120बी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। आवेदिका दुख्खा बानो की ओर से परिवाद दायर कर मकान विक्रय के नाम पर 7 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्मा ने कोर्ट को बताया कि झूठा अनुबंध बनाकर आवेदिका को न तो रजिस्ट्री की गई और न ही धन राशि वापस की गई। कई बार चेक दिए गए, जो ओवरराइटिंग के कारण बैंक से अनाबदरित हो गए प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रारंभिक स्तर पर कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण न्यायालय में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। तर्कों और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी को सत्य मानते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करने का आदेश पारित किया।

फिलहाल छुटपुट वर्षा के आसार

जबलपुर। मानसून का बेसरी से इंतजार किया जा रहा है। मंडला, डिंडोरी तक मानसून पहुंच चुका है एक-दो दिनों में बारिश की संभावना बन जायेगी। मौसम विभाग की माने तो कहीं-कहीं अमी वर्षा हो सकती है। मंगलवार को सुबह से मौसम शुष्क रहा। दोपहर 1 बजे तक बादलों की आवा-जाही बनी रही और हल्की वर्षा हुई। बारिश यमते ही उमस बढ़ने लगी थी। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल स्थानीय बादलों की वजह से प्री-मानसूनी बौछारें पड़ सकती हैं।



मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में पूरे मप में मानसून सक्रिय हो जाएगा। पश्चिमी मध्यप्रदेश के ऊपर मानसून की सक्रियता बनी हुई है। जबकि पूर्वी मध्यप्रदेश के जिले मानसून का इंतजार कर रहे हैं। बादलों की वजह से

उमस रही, वहीं तापमान औसत से ऊपर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार हवा में नमी बढ़ने से प्री-मानसून की गतिविधियां बढ़ गई हैं। मंडला, डिंडोरी, भोपाल, विदिशा, शहडोल के कुछ इलाकों में मानसून पहुंच गया है।

चक्रवात की वजह से कहीं कहीं बारिश हो सकती है। स्थानीय मौसम विज्ञान केन्द्र के प्रवक्ता ने बताया कि मानसून अभी पश्चिमी मप में सक्रिय है। 19-20 जून तक जबलपुर में प्रवेश कर सकता है। अभी बंगाल को खाड़ी में ही हवायें

सक्रिय हैं। मानसून को आगे बढ़ने में दो-तीन दिन का समय लग सकता है। जहां तक आसमान में हवा के कम दबाव का क्षेत्र है, वह स्थानीय बादलों से ही बन रहा है। इसलिए फिलहाल छुटपुट वर्षा ही हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान नगर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 3 डिग्री कम और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 1 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। हवा में नमी प्रातःकाल 68 प्रतिशत और सायंकाल 70 प्रतिशत आंकी गई। अगले 24 घंटों के दौरान संभागा के अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ छुटपुट वर्षा हो सकती है। गत वर्ष आज के दिन अधिकतम तापमान 36.8 और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मंगलवार को दोपहर में 4.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 1 जून से अब तक कुल वर्षा 11.4 मिली मीटर दर्ज की गई।

जिले में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जबलपुर।

वर्षा ऋतु के दौरान प्रजनन और वंशवृद्धि के दृष्टिकोण से मछलियों को संरक्षण देने के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी कर 16 जून से 15 अगस्त की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया है तथा इस अवधि में जिले में स्थित सभी जल संसाधनों में सभी प्रकार के मत्स्याखेट को पूर्णतः निषिद्ध कर दिया है। मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के प्रावधानों के तहत जारी इस आदेश में कलेक्टर श्री सक्सेना ने जिले में मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनियम एवं परिवहन को भी प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य

क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा पाँच के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों को उनके द्वारा मत्स्य परिवहन के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों, पशुओं, गाड़ियों (कार्ट), जलयानों, बैलों (रैक्त्स) एवं नौकाओं को अधिग्रहित करने की चेतावनी भी दी गई है। आदेश में नागरिकों से आग्रह भी किया गया है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट न तो स्वयं करें और न ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें। छोटे तालाब या अन्य मत्स्याखेट जिनका संबंध किसी नदी या नाले से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, उनके लिए यह लागू नहीं होगा।

मां को देखते ही लिपट गई मासूम, पिता पर जबरन ले जाने का लगा है आरोप

पिता राहुल हाई कोर्ट के निर्देश पर बच्ची को लेकर पहुंचे

- ▶ पत्नी मेधा गांधी से मतभेद दूर करने एक सप्ताह का समय दिया गया
- ▶ कोर्ट की टिप्पणी- बच्ची के लालन-पालन के लिए माता-पिता, दोनों आवश्यक



संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके कारण उक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य शासन, गृह सचिव, एसपी सतना, थाना प्रभारी सतना कोतवाली सहित पति को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे।

पहले चरण में बच्ची को मां से मिलने की दी अनुमति

हाईकोर्ट ने अनादेवक पति राहुल गांधी को निर्देशित किया था कि वह अगली सुनवाई के दौरान बच्ची के साथ हाईकोर्ट में उपस्थित हो। उक्त आदेश के परिपालन में पिता अपनी बच्ची के साथ हाजिर हुआ। जहां प्रथम चरण की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मां को बच्ची से मिलने की अनुमति प्रदान की। दूसरे चरण में हाई सुनवाई के दौरान दोनों की ओर से अपने-अपने तर्क रखे गए। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पति को पिता को कोई गंभीर मुद्दा नहीं है कि जिसका विचार नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान बच्ची पति की करस्टडी में रहेंगी और मां उससे मिल सकती है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य अधिकारी ने पक्ष रखा।

रिवा रोड, सतना निवासी मेधा गांधी ने यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि पति राहुल गांधी से विवाद चल रहा है। इसी कारण वे साढ़े तीन वर्षीय बच्ची के साथ अलग रहती थीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह अपनी बच्ची के साथ 20 मार्च को बाजार गई हुई थी। कार में बच्ची बैठी हुई थी और वह कुछ सामान लेने दुकान चली गई थी। इसी दौरान पति राहुल बच्ची को लेकर चला गया। बच्ची के लापता होने पर उसकी तलाश प्रारंभ की। तभी पति राहुल ने फोन कर बताया कि बच्ची उसके साथ है। जिसके बाद उसने कोतवाली थाना पहुंचकर पति द्वारा बच्ची को जबरन ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा बच्ची को तलाशने के

हरिभूमि जबलपुर।

पूर्व निर्देश के पालन में रीवा रोड, सतना निवासी राहुल गांधी अपनी बच्ची को लेकर मंगलवार को मप्र हाईकोर्ट के समक्ष हाजिर हुए। बच्ची वहां मौजूद अपनी मां को देखते ही लिपट गईं। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सरफा को डिवीजन बेंच ने मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर अपनी टिप्पणी में कहा कि बच्ची के लालन-पालन के लिए माता-पिता, दोनों आवश्यक हैं। लिहाजा, राहुल गांधी को अपनी पत्नी मेधा गांधी से मतभेद दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

चोरी गई संपत्ति वापस करने से इनकार करने का सेशन कोर्ट का फैसला खारिज

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट सतना के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें आवेदक को उसकी चोरी गई संपत्ति वापस करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने कहा कि केवल आयकर विभाग की आपत्ति पर ट्रायल कोर्ट ऐसा आवेदन निरस्त नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को आवेदक का आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए। मामला 3 करोड़ रुपए कैश व 4 किलो सोना चोरी होने व पुलिस द्वारा उसे चोरी से जप्त

▶ हाईकोर्ट ने पीड़ित का आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए

करने से जुड़ा है। सतना के किसान श्रवण कुमार पाठक को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस द्वारा जप्त संपत्ति वापस करने की मांग की गई थी। आवेदक ने सेशन कोर्ट के उस निर्णय को भी चुनौती दी थी जिसके तहत उसे संपत्ति लौटाने से इनकार कर दिया गया था। दरअसल, 24 मार्च 2021 को आवेदक ने सतना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके घर से 3 करोड़ रुपए कैश और 4 किलो सोना चोरी हो गया है। जांच के दौरान पुलिस ने चोरी को पकड़ा और उनके पास से उक्त कैश व सोना जब्त किया। आवेदक ने उक्त संपत्ति वापस लौटाने की मांग को लेकर सतना कोर्ट में दावा पेश किया। इसी बीच आयकर विभाग ने इस मामले में कोर्ट में आवेदन पेश कर आपत्ति जता कर कहा। इस पर ट्रायल कोर्ट ने आवेदन निरस्त कर दिया।



पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर की कठोर कार्यवाही की मांग

मगवान श्री चित्रगुप्त पर प्रदीप मिश्रा की आपत्ति जनक टिप्पणी से कायस्थ समाज में रोष

जबलपुर। कायस्थ समाज के आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी के संबंध में कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा दिनांक 15 एवं 16 जून को महाराष्ट्र के किसी बौद्ध नामक स्थान पर शिव पुराण की कथा के दौरान भगवान श्री चित्रगुप्त जी के संबंध में अभद्र अमर्यादित नित्यीय व अपमानजनक टिप्पणी कथा में वाह-वाही लूटने के उद्देश्य से की गई जिससे देश के समस्त कायस्थजन आहत हैं एवं प्रदीप मिश्रा के इस कृत्य पर आक्रोशित है। उनके द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी से कायस्थ समाज की भावना को ठेस पहुंची। यह केवल

कायस्थ समाज के लिये टिप्पणी नहीं थी बल्कि पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को भी आहत कर देने वाला कृत्य है। उक्त संदर्भ में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चमन श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि प्रदीप मिश्रा कथा वाचक के उपर कठोर कार्यवाही की जाये। इस अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चमन श्रीवास्तव, महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉ रेनु श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष

सुनील श्रीवास्तव, युवा जिलाध्यक्ष विवेक खरे, मयंक श्रीवास्तव, भानू श्रीवास्तव, नवनीत श्रीवास्तव, एड. अक्षय श्रीवास्तव, एड. रविन्द्र गुता, मानवेन्द्र सिंह, अजय वर्मा, अमर चंद बावरिया, गौरव श्रीवास्तव, एड. दीपेश श्रीवास्तव, विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव, पराग श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, कपिल खरे, एड. श्रद्धा सनखेडा, सोरभ सिंह, तनुज तिवारी, अशोक श्रीवास्तव, एड. आशा श्रीवास्तव, गिरिश शुक्ला, एड. जे.पी. दुबे, एड. हरीशंकर गुता, एड. राहुल ठाकुर, एड. आबार खान, आदि उपस्थित रहे।

ब्लॉक कांग्रेस सिहोरा ने संगठन सृजन अभियान के तहत ग्रामीण जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर की बैठक

सिहोरा। जिला कांग्रेस कमिटी ग्रामीण के मार्गदर्शन एवं बिहारी पटेल अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमिटी सिहोरा के संयोजन में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के तहत यशराज होटल खितौला में कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष के चयन के संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ब टोलने एआईसीसी



पर्यवेक्षक रवि बहादुर सिंह विधायक हरिद्वार, पीसीसी पर्यवेक्षक एवं जबलपुर के प्रभारी ठाकुर रजनीश सिंह विधायक कवलारी, राजेंद्र मिश्रा पूर्व मंत्री, निलेश जैन अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमिटी ग्रामीण, नित्य निरंजन खंपरिया पूर्व विधायक, कौशल्या गोटिया पूर्व मंत्री, जिला संगठन मंत्री राजकिशोर पटेल, चमन राय अध्यक्ष युवा कांग्रेस की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर पंडित केशव मिश्रा, सुबोध पांडे, बृज बिहारी पटेल, अंजू सिंह बघेल, राजेश तिवारी, रिकू शर्मा, विजय कांति पटेल, ठाकुर विक्रम सिंह लोधी, सम्मति सैनी, रनेश अवस्थी, बाबा कुरेशी, जितेन्द्र श्रीवास्तव, राजेश चौबे, रमेश पटेल पाण्डे, राहुल श्रीवास्तव, गणेश दाहिया, डब्लू पाठक, रुमणी गोटिया, घनश्याम बडगैया, अमोल चौरसिया, आलोक पांडे, मंसूर मंसूरी, प्रकाश कुररिया आदि उपस्थित थे।

अधिकारी अधिकार से नहीं अच्छे काम से बनता है : रश्मि अग्निहोत्री

सिहोरा। किसी शासकीय कार्यालय में पदस्थ अधिकारी अपने अधिकारों से नहीं बल्कि आमजन के हित में कराये गए अच्छे कामों से बड़ा बनता है जनपद पंचायत से स्थानांतरित मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसे अधिकारी थे जो जनपद पंचायत में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में कराए गए अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते थे जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे यह बात जनपद पंचायत अध्यक्ष मुख्य अतिथि रश्मि मनेंद्र अग्निहोत्री ने सिहोरा से कटनी स्थानांतरित हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र गुप्ता के विदाई कार्यक्रम में कहीं इस

अवसर पर पदस्थ हुई मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशा देवी पटले का स्वागत किया गया। जनपद पंचायत सभा कक्ष में हुए कार्यक्रम में जनपद पंचायत के सभी अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। मनरेगा की सहायक यंत्री नीलम विनोदिया, उपयंत्री मनोज श्रीवास्तव, दीपक विश्वकर्मा, प्रियंका तिवारी, लेखा अधिकारी सतीश अवस्थी, पंचायत निरीक्षक विनोद तिवारी, रामचरण पटेल, सरला यादव, सुखचैन बर्मन, पंचायत सचिव संघ अध्यक्ष प्रमोद पांडे, नर्मदा दुबे, विजय पटेल, सुदामा तिवारी, प्रदीप यादव, ने स्थानांतरित मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा पदस्थ अधिकारी का स्वागत अभिनंदन किया।

समुदायिक भवन का किया गया भूमिपूजन



मझौली। शासन के द्वारा 25 लाख रुपए प्रदान की गई राशि का समुदायिक भवन का भूमिपूजन विधायक अजय बिशोई के द्वारा ग्राम पंचायत हटौली में किया गया। जिसमें उपस्थित विधायक दिनेश चौरसिया, मुकुंश सेन, अरविन्द पटेल, हेमंत मिश्रा, सरपंच प्रीति खलू मझौली, उप-सरपंच विक्रम पटेल, बृह अध्यक्ष अरविन्द पटेल, कृष्ण कुमार पटेल, नवनीत राय, शिवम पटेल, जगदीश

रैकवार, सोहन पटेल, चंद्राकर रैकवार, छुक्क सिंह, राजु लोधी, जगदीश मुनीया, सुरज यादव, राजु लोधी, हिम्मत सिंह, कैलाश चौधरी, कल्लू रामसिंग, CEO तेज बहादुर, इंजीनियर विजय प्रकाश यादव, सचिव शंकर लाल झरिया, रोजगार सहायक सोरैया रंगरेज आदि समस्त वामवासी उपस्थित थे।

पनागर-खितौला सड़क हादसों में तीन की मौत, एक घायल

जबलपुर। खितौला व पनागर थाना क्षेत्रों में हुये अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की जहां मौत हो गई वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। पनागर थानान्तर्गत जहां मोहनिया तिराहा के समीप टुक की टक्कर से मोटर साइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई वहीं एक घायल है। खितौला थानान्तर्गत पान उमारिया रोड पर यूपी पारसिंग ट्रेलर की टक्कर से बाईक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतकों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। टुक की टक्कर से 2 की मौत 1 घायल

पनागर थानान्तर्गत बरनु गोसलपुर निवासी देवनारायण बर्मन कल अपनी मोटर साइकिल से पल्लेदारी करने कृषि उपज मंडी जबलपुर अपने भाई जुगल किशोर व रामकृपाल के साथ गया था। काम कर सभी रात लगभग साढ़े 12 बजे वापस गोसलपुर अपने घर जा रहे थे। तभी एनएच-30 मार्ग पर धर्मेंद्र पटेल के घर के समीप वे मोहनिया तिराहा पहुंचे जहां सामने बुढ़ागर की और रांग साईड से एक ऑटो आ रहा था जिससे बचाया तो पीछे से आ रहे टुक क्रमांक एम पी 54 एच 0182 के चालक ने लापरवाही से चलाते हुये मोटर साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी

जिससे देव नारायण बर्मन आगे की ओर गिर गया। घटना में देवनारायण को हाथ पैर में चोटें आई हैं। घटना में मोटर साइकिल में पीछे बैठक जुगलकिशोर व रामकृपाल टुक की ओर गिरने दोनों के ऊपर से टुक चाक उठने रौंदा हिया गुजर गया। जुगल किशोर को 108 एम्बुलेंस से तत्काल सिहोरा अस्पताल एवं 1033 एनएनआई वाहन से रामकृपाल को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। सिहोरा अस्पताल में डाक्टर ने चेक कर जुगलकिशोर को मृत करार दिया। वहीं रामकृपाल बर्मन की ईलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई।

13 लाख से अधिक पैसैजनों ने किया केशलेस ट्रांजेक्शन

पश्चिम मध्य रेल पर डिजिटल लेनदेन को मिल रहा बढ़ावा

हरिभूमि जबलपुर।

रेलवे में यात्रियों को अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक से केशलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल द्वारा डिजिटल तकनीक के माध्यम से केशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तीनों मण्डलों जबलपुर, भोपाल एवं कोटा में पीआरएस काउंटेर्स, यूटीएस काउंटेर्स एवं पार्सल कार्यालयों पर पीओएस मशीन से केशलेस ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य तरह के डिजिटल तकनीक जैसे भीम/ यूपीआई तथा मोबाइल टिकटिंग के माध्यम से भी केशलेस ट्रांजेक्शन का उपयोग किया जा रहा है। गौरतलब है कि पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर, भोपाल एवं कोटा के पीआरएस, यूटीएस, यूटीएस कम पीआरएस एवं पार्सल के कार्यालयों में लगभग 45



पीओएस मशीनों के माध्यम से डिजिटल केशलेस ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम मध्य रेल ने चालू वित्तीय वर्ष के मई माह में पीआरएस एवं यूटीएस से डिजिटल केशलेस ट्रांजेक्शन से 13 लाख 23 हजार 127 यात्रियों की बुकिंग की गई है, जिससे 10 करोड़ 31 लाख 61 हजार 685 रुपये का रेलवे राजस्व अर्जित किया है। मई माह में पीआरएस एवं यूटीएस से पीओएस मशीन, भीम/यूपीआई एवं मोबाइल टिकटिंग ऐप के माध्यम से

डिजिटल केशलेस ट्रांजेक्शन कि जानकारी इस प्रकार है। केशलेस भुगतान से पमरे में तीनों मण्डलों द्वारा आरक्षण कार्यालय (पीआरएस) में पीओएस मशीन से 2818 यात्रियों को बुक करके 16 लाख 56 हजार 627 रुपये का राजस्व अर्जित किया। वहीं भीम ऐप/ यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) प्रणाली का उपयोग कर 92875 यात्रियों से 4 करोड़ 17 लाख 45 हजार 968 रुपये का राजस्व अर्जित किया। इसी प्रकार यूटीएस में मोबाइल टिकटिंग से मई माह में पमरे को सबसे बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें 6 लाख 35 हजार 539 यात्रियों से 1 करोड़ 40 लाख 12 हजार 850 का राजस्व अर्जित किया। वहीं भीम ऐप/ यूपीआई प्रणाली का उपयोग कर 591895 यात्रियों से 4 करोड़ 57 लाख 46 हजार 240 रुपये का राजस्व अर्जित किया।

अग्निवीर भर्ती रैली के लिए तिथियों की घोषणा

जबलपुर। सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर ने भर्ती वर्ष 2025-26 के अंतर्गत सेना में भर्ती के लिए एचआइ डिजिटल आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्टर करने वाले अर्थाथियों के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तिथियों की घोषणा कर दी है। जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 30 जून से 10 जुलाई तक 4 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिसमें जबलपुर सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर के तीन स्थानों जबलपुर, रीवा और सतना पर आयोजित होंगी। सतना में दो केंद्र बनाये गये हैं। ऑनलाइन परीक्षा हर दिन 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस बार से अग्निवीर वर्ल्ड, स्टोर कोपर, टेक्निकल के लिए आवेदन करने वाले अर्थाथियों का टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर लिया जाएगा। अर्थाथियों के डाउनलोड के लिए एडमिट कार्ड 16 जून 2025 से भारतीय सेना की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।

बिना वजह रास्ते में रोककर चाकू मारे

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत बिसैंदी रोड तिराहे पर तीन बदमाशों ने दो युवकों का रास्ता रोका और बिना वजह गालीगलौज कर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पनागर पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार रैपुरा निवासी 21 वर्षीय साहिल केवट गत शाम लगभग 5.30 बजे अपने मौसुरा भाई शुभम केवट के साथ अपनी बाईक क्रमांक एमपी 20 एमएम 3028 से अपनी बुआ के गांव छत्रपुर से अपने गांव रैपुरा आ रहे थे। साहिल की टोपी बिसैंदी रोड तिराहे पर गिर गई थी तभी बाईक क्रमांक एमपी 20 एमएम 8321 में बिसैंदी पनागर निवासी राजा चौधरी, विशाल केवट और गौतम चौधरी तीनों उसकी टोपी में लात मारते हुये उसके साथ गाली गलौज करने लगे, गालियां देने से मना करने पर, तीनों ने उनका रास्ता रोका और मारपीट करने लगे। विशाल केवट ने चाकू से साहिल के चेहरे व कान में तथा मौसुरे भाई शुभम केवट के गर्दन, हाथ पैर में हमला कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा 296, 115(2), 118(1), 351(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

श्री दिलीप ठाकुर- मदनमहल महानाद रोड खालसा कॉलेज के पीछे निवासी श्री दिलीप ठाकुर (50) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गुप्तेश्वर मोक्षधाम में संपन्न हुआ।

श्री राजकुमार दीक्षित- आईटीआई माढ़ोताल नई बस्ती निवासी श्री नीलकंठ दीक्षित के पुत्र श्री राजकुमार दीक्षित (42) का विगत दिवस निधन हो गया। अंतिम संस्कार माढ़ोताल मोक्षधाम में किया गया।

श्रीमती विद्या बाई मिश्रा- शांति नगर दमोहनका निवासी श्री शिव प्रसाद मिश्रा की धर्मपत्नी श्रीमती विद्या बाई मिश्रा (73) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री रामेश गुप्ता- प्रेमसागर निवासी श्री रामनाथ गुप्ता के पुत्र श्री रामेश गुप्ता का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्रीमती शांता देवी सिंह- शक्ति नगर गुप्तेश्वर निवासी श्री ओंकार नाथ सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती शांता देवी सिंह (68) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री अमर सिंह मौर्य- पश्चिमी घमापुर शौतलामाई वार्ड निवासी श्री अमर सिंह मौर्य (52) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

बाईक सवार बदमाशों ने चाकू अड़ाकर ई-रिक्शा लूटा

जबलपुर। माढ़ोताल थाना अंतर्गत पाटन बायपास में दो बाईक में सवार अज्ञात चार बदमाशों ने एक ई रिक्शा चालक को रास्ते में रोका और चाकू अड़ाकर उसका ई रिक्शा छीनकर भाग गए। माढ़ोताल पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी बायपास निवासी 26 वर्षीय भानु प्रताप पांडे अमित साहू का ई रिक्शा किराए से चलाता है। गत रात लगभग 11 बजे चुंगी नाका से सवारी लेकर पाटन बायपास में छोड़कर, वहीं से शराब दुकान वाली सर्विस रोड से कटंगी बायपास अपने घर जा रहा था। कृष्णम रिसोर्ट के लगभग 200 मीटर पहले पाटन बायपास तरफ से 2 मोटर सायकल में 4 अज्ञात व्यक्ति आये और अपनी दोनों मोटर सायकलें उसके ई रिक्शा क्रमांक एमपी 20 जेड ई 2770 के सामने लगा दिये उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू अड़ाकर उसे ई रिक्शा से नीचे उतरने के लिये कहा वह नीचे उतरा तो दूसरे व्यक्ति ने ई रिक्शा की चाबी छीन लिया फिर ई रिक्शा को स्टार्ट करके पाटन बायपास तरफ भाग गये। पुलिस ने अज्ञात चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा 126(2), 309(4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया है।



रंगदारी वसूलने बदमाश ने तलवार से किया हमला

जबलपुर। रांडी थाना अंतर्गत परशुराम कुंड मोहनिया कलारी के पास शराब पीने के लिए रुपए नहीं मिलने पर एक बदमाश ने एक व्यक्ति पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया। रांडी पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंडी टोरिया मोहनिया निवासी 59 वर्षीय राजू पांडे गत शाम लगभग 5.30 बजे अपने साथी भोला ठाकुर से मिलने परशुराम कुंड मोहनिया गया था। परशुराम कुण्ड मोहनिया कलारी के पास अजू कोल हाथ में तलवार लिये मिला जो उससे शराब पीने के लिये एक हजार रुपये मांगने लगा, उसने रुपये देने से मना किया तो गाली गलौज कर उस पर तलवार से हमला कर दिया। उसने अपना बचाव किया तो तलवार उसके माथे में लग गई जिस कारण उसे चोटें आ गईं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा 296, 118(1), 119(1), 351(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

गया। श्री किशन लाल केवट- कृषि नगर अंधारताल निवासी श्री किशन लाल केवट (63) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्रीमती द्रोपती बाई चौधरी- भानतलैया रोड निवासी श्री दीपचंद चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती द्रोपती

बाई निवासी श्री श्याम लाल कोल के पुत्र श्री दिलीप कुमार कोल (32) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्री अमन गुप्ता- गुलौआ चौक गढ़ा निवासी श्री पुनीत कुमार गुप्ता के पुत्र श्री अमन गुप्ता (35) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्रीमती लता बाई बंशकार- सिद्धबाबा वार्ड गणेश चौक निवासी श्री बिरजू लाल बंशकार की धर्मपत्नी श्रीमती लता बाई बंशकार (50) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्री सजल मजूमदार- कौशल्या हाइट्स कचनार सिटी विजयनगर निवासी श्री सजल मजूमदार (71) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री धर्मेंद्र साकेत- बाबा टोला टक्कर ग्राम निवासी श्री श्याम लाल साकेत के पुत्र श्री धर्मेंद्र साकेत (33) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्री अमन गुप्ता- गुलौआ चौक गढ़ा निवासी श्री पुनीत कुमार गुप्ता के पुत्र श्री अमन गुप्ता (35) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्रीमती लता बाई बंशकार- सिद्धबाबा वार्ड गणेश चौक निवासी श्री बिरजू लाल बंशकार की धर्मपत्नी श्रीमती लता बाई बंशकार (50) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्री सजल मजूमदार- कौशल्या हाइट्स कचनार सिटी विजयनगर निवासी श्री सजल मजूमदार (71) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री धर्मेंद्र साकेत- बाबा टोला टक्कर ग्राम निवासी श्री श्याम लाल साकेत के पुत्र श्री धर्मेंद्र साकेत (33) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

हरिभूमि विजी/शेक/उदावन, पगड़ी रम, पुष्पतिथि

संबंधी संदेश प्रकाशित कराने के लिए

400/	विजय सड़क:- 100x से मी.	वैकल्पिक/सर्वट 300/-
500/	विजय सड़क:- 100x से मी.	रंगीन 400/-
1100/-	विजय सड़क:- 100x से मी.	रंगीन 1100/-

सम्पर्क करें विज्ञापन विभाग:- 9303308294, 9407362150

दरगाह को लेकर बढ़ा विवाद तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा

एजेसी नई दिल्ली

खास बातें

- श्री अदालत ने कहा कि 7 दिन तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। परदेशी बाबा ट्रस्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें दरगाह को हटाए जाने की अनुमति दी गई थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला 23 साल से परदेशी बाबा ट्रस्ट और एक प्राइवेट कंपनी के बीच चल रहा है। यह कंपनी जमीन पर मालिकाना हक होने का दावा करती है। कंपनी का कहना है कि दरगाह के 160 स्क्वायर फीट के क्षेत्र को बढ़ाकर 17,160 स्क्वायर फीट तक फैला दिया गया और यह जमीन कंपनी की है। इस निर्माण के लिए थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी अनुमति नहीं लगी गई। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस बी वराले की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी।
- दवा कंपनी कर रही इस जमीन पर अपना दावा



बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनधिकृत हिस्से को तोड़ने का दिया था निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस निर्माण के खिलाफ दाखिल रिट पेटिशन पर सुनवाई करते हुए अनधिकृत हिस्से को तोड़ने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस तरह दरगाह के पास निर्माण करने के लिए परदेशी बाबा ट्रस्ट को फटकार लगाई और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भी नाराजगी जताई कि उसने मामले से जुड़े हलफनामे में तथ्यों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

तथ्यों को लेकर स्पष्टता नहीं होने पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियागत अनियमितताओं और तथ्यों को लेकर स्पष्टता नहीं होने पर चिंता जताई। इस बात पर भी अस्पष्टता है कि क्या 10 मार्च के विध्वंस के आदेश का पूरी तरह से पालन किया गया। जस्टिस मेहता ने कहा कि मुकदमे के खारिज होने की बात का खुलासा न करना निराशाजनक है और अगर हाईकोर्ट को यह बात पता होती तो वह अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकता था।

हासन को राहत और सरकार को दी मोहलत कर्नाटक में रिलीज की जानी चाहिए फिल्म 'ठग लाइफ'




कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की कर्नाटक में रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म को राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि मीडा और निगरानीकर्ताओं को सड़कों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि कानून के अनुसार सीबीएफसी मंजूरी वाली फिल्म को हर राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए।

जमानत याचिका खारिज

वाइफ स्वेपिंग, पत्नी संग सेक्स का ऑनलाइन ऑफर

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे शख्स को जमानत देने से इनकार किया है जिस पर पत्नी को 'पार्टर स्वेपिंग' के लिए मजबूर करने का आरोप है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी को तस्वीर




लगा उसके साथ सेक्स का ऑफर दिए जाने का भी आरोप है। अदालत ने यह कहते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी कि यह सामान्य वैवाहिक विवाद के आरोपों का केस नहीं है। जस्टिस गिरिश कल्याणिया जिस शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे उस पर रेप, गैररूप, शारीरिक शोषण, कूरता और आपराधिक धोखाधड़ी जैसे आरोप हैं। 9 जून को दिए आदेश में अदालत ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप सख्तीवर्ती वैवाहिक विवाद के नहीं हैं।

सबर संक्षेप


रॉबर्ट वाद्रा फिर ईडी के सामने पेश नहीं

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा के पति रॉबर्ट वाद्रा ब्रिटेन निवासी शख् सलाहकार संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष अपनी निष्ठागत गवाही के लिए पेश नहीं हुए। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्हें 10 को पेश नहीं होने के बाद मंगलवार को पेश होने के लिए कहा गया था।



दवा कंपनी की इकाई में विस्फोट में व्यक्ति की मौत

नागपुर। नागपुर जिले में मंगलवार को एक दवा कंपनी की इकाई में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। भोलगाव में 'अंकिट पल्स एंड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड' की इकाई के 'ग्लास-लान्ड रिक्टर' में विस्फोट हुआ। विस्फोट सुबह करीब 11 बजे हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।



एक साथ उठी 4 भाइयों की अर्थी, गांव गमगीन

पाली। तेलंगाना के बसारा में गोदावरी नदी में रिववार को हुए दर्दनाक हादसे ने राजस्थान के



पाली और नागौर को कभी नहीं भूल सकने वाला गम दिया है। राजस्थान के पाली जिले के तीन सगे भाई, उनका एक मौसरा भाई और नागौर का एक युवक नदी में डूब गए। मंगलवार को ढाबर गांव में जब 4 भाइयों की एक साथ चिताएं जलीं, तो हर आंख नम थी।

चर्च सहायक ने 3 लड़कों का किया यौन उत्पीड़न

चेन्नई। यहां के अंबलूर इलाके में एक चर्च के फादर के सहायक पर 3 नाबालिग लड़कों के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी येशुदास को खिलाफ पाबन्दी एक्ट समेत कई धाराओं में गिरफ्तार भी कर लिया है।



भारत दुनिया का महत्वाकांक्षी राष्ट्र, भाषाओं के आधार पर विभाजन बर्दाशत नहीं करेगा

धनखड़ ने देश के भविष्य की मलाई पर विचार करने को कहा

एजेसी नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया का एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र है और वह भाषा के मुद्दे पर विभाजन बर्दाशत नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों से देश के भविष्य की भलाई पर विचार करने और 'इस तूफान से उबारने' की अपील की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः लागू करने की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि यह शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी, जिससे देश के विकास को गति मिलेगी। धनखड़ पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि भाषाओं को लेकर विरोध हो रहा है।

2027 की जनगणना पर विपक्ष के वार पर भाजपा ने साधा निशाना कांग्रेस का लक्ष्य हो रहा विफल, वह हताशा में 'झूठा' प्रचार, भ्रम व अफवाह फैला रही

एजेसी नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस 2027 की जनगणना पर झूठा और भ्रामक प्रचार कर रही है क्योंकि समाज में विभाजन पैदा करके सत्ता हासिल करने की उसकी उम्मीद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की राष्ट्रव्यापी कवायद में जातिगत गणना को शामिल करने के फैसले से टूट रही है। कांग्रेस ने 16वीं जनगणना पर सरकार की अधिसूचना को 'निरर्थक' करार देते हुए सोमवार को कहा कि वह इस प्रक्रिया में जाति को शामिल करने के मुद्दे पर कुछ नहीं कहती है।

साथ ही, कांग्रेस ने पूछा कि क्या यह सरकार का एक और यू-टर्न है। यह देखते हुए कि कुछ भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि राजपत्र अधिसूचना में जातिगत गणना का कोई उल्लेख नहीं है। गृह मंत्रालय ने बाद में जोर देकर कहा कि जनगणना में जाति गणना शामिल की जाएगी। झूठे दावों के साथ लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि इस तरह के ओछेकृत्य का सहारा लेकर विपक्षी पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाज में भ्रम पैदा करना और सत्ता हासिल करना है।

विपक्षी पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाज में गुनराह करना और सत्ता लोलुपता पायलट ने जातिगत सर्वेक्षण का मॉडल अपनाने को कहा

कांग्रेस लीखा बाते, छल और झूठ पर उतारू




कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की, कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की रिपोर्ट रोकी

त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की है। पार्टी ने 1951 में जाति जनगणना रोकने का फैसला किया और काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की रिपोर्ट को जारी नहीं होने दिया। 'सबका साथ, सबका विश्वास' मंत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार जाति गणना के साथ जनगणना करना चाहती है ताकि सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों के लिए सम्मान और सबसे पिछड़ी जातियों का उथाल सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके विपरीत कांग्रेस और भाजपा के नेता जाति के आधार पर समाज में विभाजन पैदा करके केवल अपने परिवारों का उथाल चाहते हैं।

राहुल ने भी जातिगत गणना की मांग की थी

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने अधिसूचना में जातिगत गणना का उल्लेख नहीं होने पर खला खड़े किए और आरोप लगाया कि जाति जनगणना पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को 'भ्रम की स्थिति पैदा करने के बजाय कांग्रेस शासित तेलंगाना में हुए हालिया जातिगत सर्वेक्षण का मॉडल अपनाने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। केन्द्र सरकार ने भारत की 16वीं जनगणना 2027 में कराने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी की।



पायलट ने कहा कि कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लंबे समय से मांग रखी थी कि देश में जब भी जनगणना हो, उसमें जातिगत जनगणना कराई जाए। जातिगत जनगणना का उद्देश्य सिर्फ जाति के बारे में जानना नहीं, बल्कि यह भी पता करना है कि अलग-अलग वर्ग के लोग किन स्थितियों में रह रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं या नहीं? देश और संस्थाओं में किन्तनी भागीदारी है तथा लोगों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है?

मांग करने वालों को 'अर्बन नक्सल' बताया था

उन्होंने दावा किया कि भाजपा और प्रधानमंत्री ने अतीत में कई बार कहा कि जातिगत गणना की मांग उठाने वाले लोग 'अर्बन नक्सल' हैं तथा सरकार जातिगत गणना कराने के पक्ष में नहीं है। पायलट ने कहा कि भारी विरोध के बाद सरकार ने अचानक उनकी पार्टी की मांग को मानते हुए जातिगत गणना कराने का फैसला किया। उन्होंने आरोप लगाया अब एक बार फिर से जातिगत गणना कराने की बात से पीछे हटने को लेकर हमें सरकार की नीयत पर शक है।

डॉक्टरों ने किया कमाल 30 मिनट में निकाली 8 सेमी लंबी स्पून, दूसरे दिन टी छुट्टी

एजेसी नई दिल्ली

शालीमार बाग स्थित निजी अस्पताल में एक 30-वर्षीय पुरुष की दुर्लभ और असामान्य मेंडिकल इमरजेंसी की गई। डॉ. रमेश गर्ग, सीनियर डायरेक्टर एवं एचओडी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टरों की टीम ने गैस्ट्रोएंटरोस्टाइनल एंडोस्कोपी प्रक्रिया को 30 मिनट में किया गया और मरीज को अगले ही दिन स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दी गई। उनके पेट के एक्स-रे समेत तत्काल डायग्नोस्टिक इमेजिंग की गई, जिससे पता चला कि उनकी आंत के ऊपरी हिस्से में एक धातु का चम्मच फंसा हुआ था। मरीज की एनेस्थीसिया में तत्काल इमरजेंसी

बंगाल में बर्खास्त शिक्षकों का प्रदर्शन सीएम ममता से की मुलाकात और विधानसभा तक निकाला विरोध मार्च

एजेसी कोलकाता

पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती संकट को लेकर बर्खास्त शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बर्खास्त शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के एक ग्रुप ने सीएम ममता बेनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद विधानसभा तक विरोध मार्च निकाला। बर्खास्त शिक्षकों के ग्रुप ने मलिक स्क्वायर से विधानसभा तक मार्च निकाला, जबकि दूसरा ग्रुप शिक्षा मंत्री ब्रज्य बसु को ज्ञापन सौंपने के लिए राज्य शिक्षा विभाग मुख्यालय विकास भवन की ओर बढ़ा। ग्रुप का नेतृत्व कर रहे 'डिजिटिंग टीचर्स राइट फोरम' के एक सदस्य ने कहा कि हमें नई भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए कहकर राज्य सरकार ने वस्तुतः उन पात्र शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा अमान्य कर दिया गया था। पहले भी कई बार शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें ममता ने विचार करने के कहा था।

बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त

मंगलुरु। कर्नाटक के मंगलुरु में मंगलवार को लगातार बारिश के कारण भूस्खलन के बाद क्षतिग्रस्त हुए मकान।



केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यादव ने सामूहिक कार्रवाई को अहम बताया बिग कैट की प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण और सुरक्षा हो

एजेसी नई दिल्ली

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वन्यजीव संरक्षण में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है, जिसने पिछले दशक में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं। उन्होंने कहा कि बिग कैट की सात प्रमुख प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए बिग कैट वाले देशों के बीच सामूहिक कार्रवाई महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा बनाया गया, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) 95 रेंज देशों का एक गठबंधन है। इसका उद्देश्य सात बिग कैट अर्थात् बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और च्यूमा का संरक्षण करना है।

9 देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी लिया मान



इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की पहली बैठक सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भूपेंद्र यादव ने बैठक की अध्यक्षता की। जिसमें 9 देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इन देशों में भूटान, कंबोडिया, इट्यालिया, गिनी गणराज्य, भारत गणराज्य, लाइबेरिया गणराज्य, सूरीनाम गणराज्य, सोमालिया संघीय गणराज्य और कजाकिस्तान गणराज्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य रेंज देशों में बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना है।

अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक की कार्यवाही का समर्थन किया

बैठक के दौरान अप्रैल 2024 में आयोजित की गई थी। आईबीसीए की पहली अंतरराष्ट्रीय संवाहन समिति की बैठक की कार्यवाही का समर्थन किया गया। आईबीसीए द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित मुख्यालय समझौते की पुष्टि की, कार्ययोजना, सभा की प्रक्रिया के नियमों और आईबीसीए के कर्मचारियों और विधि विनियमों का नियमावली को मंजूरी दी। ये इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के प्रारंभिक शासन, संवाहन और सहयोगी पहलों के लिए मानद्वैक आधार के रूप में काम करेंगे।

मंत्री ने सहयोग का आह्वान किया

इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिग कैट रेंज देशों से आईबीसीए की पहली और कार्ययोजना में सक्रिय रूप से शामिल होने और सहयोग करने का आह्वान किया। बैठक में सर्वसम्मति से भूपेंद्र यादव को आईबीसीए के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित किया गया। इसके अलावा, एसपी यादव को आईबीसीए के महानिदेशक के रूप में भी अनुमोदित किया गया।

श्री कृष्ण के लिए कैदियों ने बनाया केक, सुरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज के प्रवचनों से बंदियों में जागृत हो रही भक्ति

हरिभूमि, जबलपुर।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कारागार में भगवान के अवतार लेते ही बंदी भक्ति में झूम उठे। श्री नंदलाल के बहाई गीतों पर सभी ने जमकर नृत्य किया। कैदियों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर केक बनाया और भगवान को अर्पित किया। कथावाचक शिव मंदिर कचनार सिटी (बड़े शंकर जी) के मुख्य आचार्य एवं मां दक्षिणेश्वरी धाम के संस्थापक सुरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने व्यासपीठ से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा के साथ साथ गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार का वर्णन किया। इसके साथ ही बंदियों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए तत्वज्ञान से परिपूर्ण हृदय परिवर्तन करने



वाले अनेक प्रसंग सुनाए। जिससे बंदियों के मन की अपराधिक प्रवृत्ति समाप्त हो और वह सत्य, धर्म तथा अहिंसा के मार्ग पर चलें। शास्त्री जी के प्रवचन सुनकर बंदियों के मन में भक्ति जागृत हो रही है और वह अपनी

दिनचर्या में आध्यात्मिक बदलाव ला रहे। जेल अधिकारी भी बंदियों के आध्यात्मिक परिवर्तन से प्रभावित हैं। कथा में जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर के मार्गदर्शन में शास्त्री जी का स्वागत उप जेल अधीक्षक

मदन कमलेश ने किया। उप जेल अधीक्षक रूपाली मिश्रा, सहायक जेल अधीक्षक अंजू मिश्रा, प्रशांत चौहान, हिमांशु तिवारी एवं ओम प्रकाश दुबे ने आरती की। पूजन कार्य पंडित अमित उपाध्याय ने संपन्न कराया। इस दौरान जेल के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

जेल में छाई खुशी

भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उप जेल अधीक्षक मदन कमलेश ने केक काटकर भगवान को अर्पित किया। जेल के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बंदियों ने श्री कृष्ण भगवान के जयकारे लगाए। कन्हैया के जयकारों से समूचा जेल परिसर गूंज उठा और पूरे जेल में खुशी का माहौल बन गया। शिवा विश्वकर्मा के भक्ति गीतों पर बंदियों ने जमकर नृत्य किया।

नर्मदा तट पर जल्द बनेंगे होम स्टे

परिक्रमा वासियों और पर्यटकों को मिलेगी सुविधा

जबलपुर।

नर्मदा तट पर पहुंचने वाले परिक्रमा वासी हो या पर्यटक अब जबलपुर का नर्मदा तट अलग अनुभूति कराएगा। सरटेनेबल टूरिज्म पर कार्य कर रहे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की होमस्टे योजना के अंतर्गत नर्मदा के मनोरम तट न्यू भेड़ाघाट के निकट डुडवारा में बने कच्ची मिट्टी के होम स्टे का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। नगर निगम उपायुक्त श्रीमती अंकिता जैन ने होम स्टे "नमामि नर्मदे पंचवटी" का दीप प्रज्वल कर शुभारंभ किया। कच्ची मिट्टी की दीवारों से बने खपरैल के घर और इस परिसर की बगिया की ताजी हरी सब्जी इस होम स्टे की विशेषता है। इस नवीन होम स्टे का संचालन बोधन एवं नोनेलाल पटेल करेंगे। होम स्टे परियोजना के अंतर्गत लोक कल्याण भूमिका समिति होम स्टे का



निर्माण करा रही है। समिति की अध्यक्ष रेखा कुशवाहा ने बताया कि डुडवारा गांव नर्मदा तट पर है, जहां से भेड़ाघाट की प्राकृतिक सुंदरता और ग्रामीण संस्कृति का अद्भुत अनुभव ले सकते हैं। उन्होंने कहा

कि इस परियोजना के अंतर्गत डुडवारा में 8 और होमस्टे का निर्माण होना है। कार्यक्रम में सरपंच श्रीमती भूरी बाई, पूर्व सरपंच मुकेश तिवारी, एवं ग्राम पर्यटक समिति के सदस्य उपस्थित थे।

स्टेशन से 6 निराश्रित व्यक्तियों का किया रेस्क्यू

आरपीएफ ने मोक्ष मानव आश्रम में पुनर्वास के लिए मेजा

जबलपुर। जबलपुर रेलवे स्टेशन में गत दिवस ऑपरेशन सेवा के तहत आरपीएफ एवं वाणिज्य विभाग की टीम द्वारा रेलवे स्टेशन जबलपुर में विशेष अभियान चलाया गया जिसमें जबलपुर स्टेशन, रेलवे परिसर एवं प्लेटफॉर्म में निराश्रित 06 व्यक्ति (महिला व पुरुष) को रेस्क्यू किया गया इसके पश्चात रेस्क्यू किए गए सभी निराश्रित (महिला व पुरुष) को मोक्ष मानव सेवा एवं जन उत्थान समिति में पुनर्वास हेतु भेजा गया। मोक्ष संस्था के आशेष ठाकुर ने बताया कि सभी को यहां अच्छे से रखा गया है और खाना पीना और चिकित्सय देखभाल की जा रही है। इस अभियान में आरपीएफ विभाग से सहा. उप निरीक्षक धीरज, प्रधान आरक्षक जितेन तिवारी, हरबंस बघेल, आरक्षक अरुण यादव, महिला



प्रधान आरक्षक गीता गायकवाड एवं वाणिज्य विभाग से डिप्टी एस एस कमरिशियल संजु जायसवाल के साथ ही टिकट निरीक्षक स्टाफ व मोक्ष मानव सेवा एवं जन उत्थान समिति के सदस्य साथ में उपस्थित थे। मुख्य मानव समिति के आशेष ठाकुर ने

बताया कि दो दिन पूर्व जीआरपी पुलिस द्वारा दो लावारिस ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए लोगों के शव समिति को सुपुर्द किए गए थे जिनका तिलवारा मुक्तिधाम में मोक्ष मानव संस्था द्वारा अंतिम संस्कार किया गया था।

कुलगुरु से इस्तीफे की मांग, गेट पर जलाई अर्थी, पुलिस से झड़प

जबलपुर।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार और छात्रविरोधी नीतियों के विरोध में अनुराग शुक्ला के नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। जिसमें सैकड़ों छात्र सम्मिलित हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा की प्रतीकात्मक अर्थी ढोल-नगाड़ों के साथ विश्वविद्यालय में ले जाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोका। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। अंततः छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर ही प्रतीकात्मक 'अर्थी' का दहन कर कुलगुरु के तत्काल इस्तीफे की मांग की। एनएसयूआई के अनुराग शुक्ला ने कहा कि कुलगुरु की कार्यशैली पूरी तरह से निरंकुश, भ्रष्ट और छात्रविरोधी हो चुकी है। शासन की मेधावी योजना, संबल प्रयोगात्मक ज्ञान के ही डिग्री लेने को मजबूर किया जा रहा है, जो न केवल एआईसीटीई के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि देश की उच्च

अर्थी जुलूस लेकर रादुविवि पहुंचे छात्र



महत्वपूर्ण क्षेत्र की हालत बदतर हो चुकी है—बीसीए और एमसीए जैसे कोर्स संचालित करने वाले विभागों में न कंप्यूटर लैब हैं, न जरूरी सॉफ्टवेयर। छात्रों को बिना प्रयोगात्मक ज्ञान के ही डिग्री लेने को मजबूर किया जा रहा है, जो न केवल एआईसीटीई के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि देश की उच्च

शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुलगुरु पर एक महिला अधिकारी ने यौन उत्पीड़न, अभद्र भाषा जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच उच्च न्यायालय के निदेश पर एसआईटी कर रही है। इसके बावजूद वे पद पर बने हुए हैं, जो नैतिकता के विरुद्ध है। साथ ही वर्ष

2009 में उनकी प्रोफेसर पद पर नियुक्ति भी विवादित रही है, क्योंकि उस समय वे यूजीसी की पात्रता शर्त पूरी नहीं करते थे। इसके अलावा, शासनादेश की अवहेलना करते हुए वे 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा का उपयोग कर रहे हैं, जबकि शासन द्वारा अधिकतम 10 लाख की सीमा तय की गई है। एनएसयूआई ने मांग की कि कुलगुरु प्रो. राजेश वर्मा को नैतिक आधार पर तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालय में सभी शासकीय योजनाओं को तत्काल लागू किया जाए, तकनीकी विभागों में मूलभूत संसाधनों की व्यवस्था की जाए, और नियुक्तियों व वृत्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच हो। प्रदर्शन में सागर शुक्ला, अद्वान अंसारी, प्रतीक गौतम, एजाज अंसारी, सक्षम यादव, अनुराग शुक्ला, शफी खान, सैफ मंसूरी, सचिन राजक, अंकित शुक्ला, अश्वथुत वाजपेई, अमित सिंह, साहिल थामस, मो. वकार, अंकित कोठी, निखिल वंशकार, युग ठाकुर, अर्पित केसरवानी, अनिकेत मेश्राम, साहिल उडके, विक्की ठाकुर आदि उपस्थित रहे।

पशु कल्याण के क्षेत्र में वीयू की एक पहल वीयू के मेडिसिन विभाग में टेम्परेचर मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन

जबलपुर। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय (एनडीवीएएसयू), जबलपुर के पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय के वेटेनरी मेडिसिन विभाग में एयर कंडीशंड टारगैटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन विगत सप्ताह को विधिवत रूप से सम्पन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण यूनिट का शुभारंभ माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) मनदीप शर्मा द्वारा किया गया, जिनके साथ पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, जबलपुर के अधिष्ठाता डॉ. आर के शर्मा, भी उपस्थित रहे।



सामने आती रही हैं। पशु औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र कुमार गुप्ता, डॉ. अमिता तिवारी, डॉ. बृजेश सिंह, डॉ. शिल्पा गर्जभिये, डॉ. शशि प्रधान, डॉ. रणबीर सिंह जाटव एवं समस्त पीजी एवं पीएचडी छात्र-छात्राओं ने इस यूनिट की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि इस यूनिट की स्थापना की अत्यंत आवश्यकता थी क्योंकि तापमान नियंत्रण की अनुपलब्धता के

चलते कई बार पालतू पशुओं की मृत्यु हो जाती थी। नव स्थापित यूनिट की खासियत इस नव स्थापित यूनिट में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स - हाइपोथर्मिया से पीड़ित पशुओं को गर्म रखने। कूलिंग मैट्स - गर्मी से ग्रस्त पशुओं का तापमान नियंत्रित करने। रूम हीटर - सर्दियों में वातावरण को गर्म बनाए रखने के

लिए। एयर कंडीशनिंग सिस्टम - वर्ष भर एक नियंत्रित तापमान बनाए रखने के

यूवी बेबी बॉडी वार्मर

यह यूनिट विशेष रूप से उन मौसम स्थितियों के लिए बनाई गई है, जहाँ सर्दियों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे और गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसे में यह सुविधा पालतू पशुओं की जीवन रक्षा के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।

कुलपति का वक्तव्य

इस अवसर पर कुलपति डॉ. मनदीप शर्मा ने कहा, टारगैटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना पशु चिकित्सा के बहुत जरूरी था। इससे हम गंभीर स्थितियों में समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप कर पालतू पशुओं की जान बचा सकेंगे। यह पशु कल्याण और चिकित्सा शिक्षा दोनों की दिशा में एक प्रभावशाली पहल है।

मोक्ष मार्ग जाने के लिए परिग्रह कम करे आचार्यश्री की मंगलदेशना

जबलपुर। श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर शिवनगर में आचार्यश्री समयसागर महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, जिसको भी शिवनगर की ओर जाना है उसको परिग्रह कम कर देना चाहिए। जिस प्रकार अधिक भार होने पर हमें पर्वत पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है उसी प्रकार जिसे मोक्ष की ओर जाना है उसे उसे अपने परिग्रह को कम करके हल्का होना पड़ेगा। आजकल लोगों का ब्रेन काम नहीं कर रहा है क्योंकि शरीर को उठाने के लिए ब्रेन की आवश्यकता पढ़ने लगी है लेकिन जब हमारी आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो मात्र एक समय में वह 7 राजू गमन करके सिद्धालय में पहुँच जाती है। उसके कर्मों का क्षय हो गया है इसलिए वह ऋजुगति मात्र एक समय में अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। मोक्ष जाने के लिए हमें अन्य पदार्थों के प्रति हमारी जो इच्छाएँ हैं उसको छोड़ना पड़ता है। धर्मसंभा के प्रारंभ में आचार्यश्री विद्यासागर महाराज के तैल चित्र के समक्ष शिवनगर जैन मंदिर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों राजेश जैन, महेन्द्र जैन, अभिषेक जैन, संजय जैन, कमलेश जैन, संजय जैन, प्रमोद मोदी, प्रवीण जैन, मनोज जैन एवं निवृत्तमान पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित किया। धर्मसंभा का संचालन पंडित अमित शास्त्री ने किया।



अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। मोक्ष जाने के लिए हमें अन्य पदार्थों के प्रति हमारी जो इच्छाएँ हैं उसको छोड़ना पड़ता है। धर्मसंभा के प्रारंभ में आचार्यश्री विद्यासागर महाराज के तैल चित्र के समक्ष शिवनगर जैन मंदिर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों राजेश जैन, महेन्द्र जैन, अभिषेक जैन, संजय जैन, कमलेश जैन, संजय जैन, प्रमोद मोदी, प्रवीण जैन, मनोज जैन एवं निवृत्तमान पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित किया। धर्मसंभा का संचालन पंडित अमित शास्त्री ने किया।



कृषि विश्वविद्यालय में योग दिवस की तैयारियां शुरु

जबलपुर।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. अमित कुमार शर्मा के संयोजन में आंचलिक खेल परिसर, जनेकवि में दिनांक 01 जून से 21 जून तक विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कृषिनागर निवासियों हेतु निःशुल्क 21 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में प्रतिदिन प्रातः 6.30 से 7.30 बजे तक शिविर आयोजित डॉ. आशेष ठाकुर निगम, खेल अधिकारी डॉ. धर्मेश सिंह नरवरिया योग समन्वयक एवं योग प्रशिक्षक सूर्या कुमार वर्मा के सानिध्य में छात्र-छात्राएँ, प्राध्यापकगण,

वैज्ञानिकगण, अधिकारीगण एवं कृषिनागर निवासी नियमित योगाभ्यास कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के इस 21 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर में योगयुक्त स्वस्थ जीवन शैली आधारित कार्यशालाएँ भी आयोजित की जा रही हैं। इसी तारतम्य में तीन दिवसीय हार्टफुलनेस एवं ध्यान योग कार्यशाला आयोजित की गई थी। जिसमें हाटफुलनेस संस्था की प्रशिक्षिका श्रीमती सुधा भाटिया, शोभा दुबे, उमेशा पारखी, जी.पी. रजक, उमेशा जलौटे ने मेंडिटेशन, मानसिक शुद्धीकरण, एकाग्रता, कार्यक्षमता उन्नयन, सकारात्मक स्वस्थ जीवन शैली हेतु योग एवं ध्यान क्रियाओं का वृहद प्रशिक्षण प्रदान किया।



चिन्हित गांवों में 30 जून तक लगेंगे शिविर

जबलपुर। जनजातीय आबादी के लिए समान अवसरों का सुजन, सामाजिक-आर्थिक स्तर का विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति हेतु चलाया जा रहे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जबलपुर जिले के सात विकासखंडों के चिन्हित 171 गाँवों में 15 जून से 30 जून तक शिविरों का आयोजन किया जायेगा। कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा अभियान के तहत शिविरों के प्रभावी और सफल आयोजन

हेतु अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। श्री सक्सेना ने अभियान के तहत आयोजित किये जा रहे शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग करने

धरती आबा अभियान

के निदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिये हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत सभी पात्र जनजातीय परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने तथा जनजातीय गाँवों में सड़क,

पानी और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं का विस्तार किए जाने के साथ ही मोबाइल इंटरनेट यूनिट्स (एमएयूयू) की स्थापना भी की जायेगी, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुँच सुनिश्चित की जा सके। सहायक आयुक्त जनजातीय कल्याण नौशा रघुवंशी के अनुसार धरती आबा अभियान के तहत चिन्हित गाँवों में विकासखण्ड कुडम के 91, जबलपुर के 37, शहपुरा के 18, पनागर, मझौली एवं सिहारा के 7-7 तथा विकासखण्ड पाटन के 4 गाँव शामिल हैं।

CHANGE OF NAME
KUMARI CHANDA RAJBHAR (existing Name of spouse as per Service Record) is legally wedded spouse of NO JC-7350688 RANK SUB NAMED AMIT KUMAR YADAV presently residing at VILL-GUMMA, PO-GUMMA, TEH. JAKHNA, DISTT-GHAZIPUR (UTTAR PRADESH)-2333051. I have changed my name from KUMARI CHANDA RAJBHAR (Name as per my Husband Army Service records) to CHANDA RAJBHAR (name as per my AADHAR CARD) vide affidavit dated 16/06/2025 formerly filed at Notary RAMDAS SHARMA MP HIGH COURT, JABALPUR (M.P.)
CORRECT NAME CHANDA RAJBHAR INCORRECT NAME KUMARI CHANDA RAJBHAR

न्यायालय अतिरिक्त वहासीलवार रांड़ी जबलपुर
रा.प्र.क्र./0501/अ- 6/2024
आम इच्छा
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमति भवनीवती पति जोबुलाल निवासी मंडला रोड चंडी मोक्ष सलीवाड़ा जबलपुर द्वारा गाम गुरैया खसरा नं. 45/1 रकबा 0.0560 हेक्टेयर / वर्गफुट भूमि रजिस्टर्ड विक्रेता / वसीयतनामा / सहमति पत्र / फीते के आधार पर शासकीय अधिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त भूमि आवेदक / आवेदिका के नाम दर्ज किये जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस न्यायालय के कक्ष क्र. ... में शीतलेश्वरी के पूर्व पेश कर सकता है। समयावधि के बाद प्राप्त दावा / आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
न्यायालय की मूहर एवं हस्ताक्षर से युक्त दिनांक 12/06/2025 को जारी।
जारी दिनांक - 12/06/2025
पेशी दिनांक - 27/06/2025
अतिरिक्त वहासीलवार एवं कार्यपालिका रजिस्ट्रार, जबलपुर

कार्यालय, सम्भागीय अधिकारी सम्भाग क्रमांक 05, नगर निगम, जबलपुर
पत्र क्र./सं.अधि./स.क्र.5/2025-26/25
दिनांक:- 17/06/2025

भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति कल्पना बेंडेकर पति श्री किशोर विनायक बेंडेकर ने भवन क्र. 97/9 प्लेट 301 वार्ड जवाहरनगर द्वितीय तल 515 आ. विक्रय पत्र माननीय न्यायालय के आधार पर नगर निगम द्वारा मकान नं. 97/9 प्लेट 301 पर नामांतरण हेतु पंजीकृत शूनिल बेंडेकर पिता श्री विनायक बेंडेकर पिन नं. 1000393555/41400222 पर जिस किसी को भी उक्त में प्रमाण सहित आपत्ति हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक-05 में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

संभागीय अधिकारी संभाग क्रं. 05 नगर निगम, जबलपुर

कार्यालय, सम्भागीय अधिकारी संभाग क्रमांक 11 नगर निगम, जबलपुर
पत्रांक-स.क्र. 11/2025-26/ दिनांक 17/06/2025
भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरसरी युग एस्टेट्स मेनेजमेंट कंपनी श्रीमति अंशुली आहुजा पति श्री गुरुमुख आहुजा, श्री अखिल वावला पिता श्री हरिनाथदास वावला, श्रीमति नीलम विदुवानी पति श्री प्रदीप विदुवानी ने वार्ड क्रमांक 67 वार्ड का नाम रांसी अवंती बाई वार्ड खसरा नं. 7/3 का भाग नौवा घट रोधी मील संपत्तिक के पिन क्रमांक (1) 1000379295 (2) 1000382851 (3) 1000380355 (4) 1000383555 सभी भूखंडों को पिन क्र. 1000383555 में मर्ज किया जाना है। (संमिलित) पर दर्ज भूमि का क्षेत्रफल/रकबा 45077 वर्गफुट विक्रय पत्र के आधार पर निगम में दर्ज मेरसरी जीएसबी के रजिस्ट्रार पत्र. लि. श्री सरदार गुरविंद सिंह भरीन पिता स्व. गुरुमुख सिंह भरीन का नाम हटाये जाने एवं आवेदक के नाम से नाम परिवर्तित किये जाने पर जिस किसी को भी उक्त नाम परिवर्तन पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक-11, राजा गोकुलदास धर्मशाला नगर निगम, जबलपुर में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

संभागीय अधिकारी संभाग क्रं. 11 नगर निगम, जबलपुर

कार्यालय, सम्भागीय अधिकारी संभाग क्रमांक 11 नगर निगम, जबलपुर
पत्रांक-स.क्र. 11/2025-26/ दिनांक 17/06/2025
भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दिव्य रोहाणी पिता स्व. श्री आर्. डी. रोहाणी श्री यश रोहाणी पिता श्री अशोक रोहाणी ने वार्ड क्रमांक 65 वार्ड का नाम सुभाष चंद्र बनर्जी के भवन क्रमांक 16/3 डी. शौला टॉकिंग सम्पत्तिक के पिन क्रमांक 1000398855 पर दर्ज भूमि का क्षेत्रफल/रकबा 2061.5 वर्गफुट विक्रय पत्र के आधार पर निगम में दर्ज श्री राजकुमार अग्रवाल पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल का नाम हटाये जाने एवं आवेदक के नाम से नाम परिवर्तित किये जाने पर जिस किसी को भी उक्त नाम परिवर्तन पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक-11, राजा गोकुलदास धर्मशाला नगर निगम, जबलपुर में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

संभागीय अधिकारी संभाग क्रं. 11 नगर निगम, जबलपुर

कार्यालय, सम्भागीय अधिकारी संभाग क्रमांक 11 नगर निगम, जबलपुर
पत्रांक-स.क्र. 11/2025-26/ दिनांक 17/06/2025
भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दिव्य रोहाणी पिता स्व. श्री आर्. डी. रोहाणी श्री यश रोहाणी पिता श्री अशोक रोहाणी ने वार्ड क्रमांक 65 वार्ड का नाम सुभाष चंद्र बनर्जी के भवन क्रमांक लवली होटल के पास सम्पत्तिक के पिन क्रमांक 1000397196 पर दर्ज भूमि का क्षेत्रफल/रकबा 1386 वर्गफुट विक्रय पत्र के आधार पर निगम में दर्ज श्री शिवेश श्रवास्तव पिता श्री रामरतन श्रवास्तव का नाम हटाये जाने एवं आवेदक के नाम से नाम परिवर्तन पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक-11, राजा गोकुलदास धर्मशाला नगर निगम, जबलपुर में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

संभागीय अधिकारी संभाग क्रं. 11 नगर निगम, जबलपुर

कार्यालय, सम्भागीय अधिकारी संभाग क्रमांक 11 नगर निगम, जबलपुर
पत्रांक-स.क्र. 11/2025-26/ दिनांक 17/06/2025
भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वरवर्ष झां. एंड डेवलपर्स एल.पी. द्वारा पार्टनर उपेन्द्र सिंह, मनोज जैन, इन्द्र कुमार पटेल, अंकुश जायसवाल ने वार्ड क्रमांक 67 वार्ड का नाम रानी अवंती बाई वार्ड के भवन क्रमांक खसरा नं. 299/1 नया 299/3 पर्वत नगर सम्पत्तिक के पिन क्रमांक 1000378661 पर दर्ज भूमि का क्षेत्रफल/रकबा 24796 वर्गफुट विक्रय पत्र के आधार पर निगम में दर्ज श्री सुबमणियम रामनाथन, श्री ए.के. रामनाथन पिता श्री डी. रामनाथन का नाम हटाये जाने एवं आवेदक के नाम से नाम परिवर्तित किये जाने पर जिस किसी को भी उक्त नाम परिवर्तन पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक-11, राजा गोकुलदास धर्मशाला नगर निगम, जबलपुर में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

संभागीय अधिकारी संभाग क्रं. 11 नगर निगम, जबलपुर

कार्यालय, सम्भागीय अधिकारी संभाग क्रमांक 05, नगर निगम, जबलपुर
पत्र क्र./सं.अधि./स.क्र.5/2025-26/26
दिनांक:- 17/06/2025

भवन नामांतरण सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति रुक्मणी पटेल पति स्व. श्री त्रिलोक चंद्र पटेल ने भवन क्र. 123/2 जवाहरनगर क्षेत्रफल 1231 वर्गफुट भूखंड 700+350 व्वा.+आ. प्रथमतः 700+350 व्वा.+आ. द्वितीय तल 850 व्वा. तृतीय तल 600 आ. शयथ पत्र/मूयु प्रमाण/वसीयतनामा माननीय न्यायालय के आधार पर नगर निगम द्वारा मकान नं. 123/2 पर नामांतरण हेतु पंजीकृत श्री त्रिलोक चंद्र पटेल पिता श्री चरण लाल पिन नं. 1000392732/41400294 पर जिस किसी को भी उक्त में प्रमाण सहित आपत्ति हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक-05 में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।